

**मो० खालीद अनवर, माननीय स०वि०प० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-01/212/1037 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर
<p>(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण के ढाका प्रखण्ड के ग्राम गुआबारी से सटे रिंग बाँध है जो आफिस घाट से ग्राम हीरापुर को जाता है;</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण के ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम गुआबारी से सटे प्रश्रगत रिंग बाँध वस्तुतः लालबकिया दायें मार्जिनल तटबंध है, जो गुआबारी वियर के उर्ध्व प्रवाह (U/S) में 4.11 कि०मी० लम्बाई में नेपाल सीमा के निकट ग्राम हिरापुर तक अवस्थित है। उक्त मार्जिनल तटबंध का निर्माण कार्य पूर्ण है।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि उक्त रिंग बाँध का निर्माण कार्य आज तक अधूरा है;</p>	<p>प्रश्रगत तटबंध के भारतीय प्रभाग में 3.60 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध जिसकी शीर्ष की चौड़ाई 5.00 मीटर है, पर जी.एस.बी. का कार्य कराया गया है।</p>
<p>(ग) क्या यह सही है कि उक्त रिंग बाँध की पक्कीकरण एवं चौड़ी करण आज तक नहीं हो सकी है,</p>	<p>प्रश्रगत बांध के विस्तारीकरण से नेपाल भाग के डूब क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिस कारण स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिस कारण शेष प्रभाग में नेपाली ग्रामीणों के विरोध के कारण उच्चीकरण एवं जी.एस.बी. का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया।</p>
<p>(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रिंग बांध का निर्माण कार्य पूरा करने तथा चौड़ी एवं पक्कीकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?</p>	<p>केंद्रीय जल आयोगगंगा बाढ़ नियंत्रण/आयोग द्वारा तटबंध शीर्ष पर कालीकरण कार्य/ मानक के अतिरिक्त तटबंध चौड़ीकरण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तटबंध पर पक्कीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग से कराया जा सकता है। इस हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दिया जा सकता है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(मुज0)-06-20/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र से प्राप्त ताराकित प्रश्न सं0-01/212/1037 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(मुज0)-06-20/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(मुज0)-06-20/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(मुज0)-06-20/2026-

1473

पटना, दिनांक- 25/03/2026.

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव


25/03/26